न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 10/2019

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
भूरसिंह पुत्र पूंजराज सिंह जाति राजपुरोहित निवासी कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 2. मोरोंकंवर पत्नी हमीरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.07.2018 जो ग्राम पंचायत कानोड द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री गौरव खत्री, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1 की ओर से उपस्थित।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 11/2019

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
भूरसिंह पुत्र पूंजराज सिंह जाति राजपुरोहित निवासी कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 2. हमीरसिंह पुत्र निरभसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 24 दिनांक 20.07.2018 जो ग्राम पंचायत कानोड द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री गौरव खत्री, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1 की ओर से उपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 23/2019

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
बाबूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 2. मोरोंकंवर पत्नी हमीरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कानोड तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.07.2018 जो ग्राम पंचायत कानोड द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 02.03.2021

1. प्रार्थीगण की ओर से यह तीनों निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत कानोड़ की ओर से अप्रार्थीगण संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टों के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त तीनों निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा है तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 2 मोरोंकंवर व हमीरसिंह ने दिनांक 05.05.2018 को अलग–अलग दो आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कानोड के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी कब्जाशुदा एवं आवासीय पुश्तैनी भूमि का पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत कानोड़ ने उक्त प्रार्थना–पत्रों पर कार्यवाही उपरान्त पट्टा संख्या 25 व 24 दिनांक 20.07.2018 जारी किये गये। प्रार्थीगण ने उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत कानोड का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी भूरसिंह की ओर से अधिवक्तागण द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की भूमि मौजा कानोड की आबादी भूमि में आई हुई है तथा उक्त आबादी भूमि के बीच से होकर मुख्य सड़क तक आने–जाने का 16 फीट का आम रास्ता आया हुआ है जिससे प्रार्थी का प्लॉट दो भागों में विभाजित हो गया है। प्रार्थी के उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 ने गलत व विधिविरूद्ध रूप से बिना किसी पुराने कब्जे के राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पुराने कब्जों का नियमितिकरण के गलत आधार पर आलौच्य पट्टा संख्या 25 व 24 प्राप्त कर लिये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में अप्रार्थी संख्या 2 मोरोंकंवर व हमीरसिंह दोनों पति–पत्नी के नाम आलौच्य पट्टे जारी कर दिये हैं। इन पट्टों की आड़ में अप्रार्थीगण संख्या 2 ने प्रार्थी की कब्जा शुदा जमीन पर अतिक्रमण किया तथा ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अवैध तरीके से रास्ते की भूमि पर पट्टा प्राप्त कर लिया है एवं रास्ते पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से ग्रामवासियों को आने–जाने हेतु रास्ता बंद किया जा रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 द्वारा आवेदित भूखण्ड का मौका कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन या निरीक्षण नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पत्रावली में प्रिंटेड आदेशिकाओं में एक ही दिन में कार्यवाही सम्पन्न कर आलौच्य पट्टे जारी किये गये हैं। आवेदन पत्र में पड़ोसियान के गवाह के रूप में अप्रार्थीगण संख्या 2 के रिश्तेदारों के बयान लिये गये हैं तथा किसी स्वतंत्र गवाह का बयान नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तथ्य छिपाकर एक ही परिवार के दो सदस्यों ने आलौच्य पट्टे जारी करवा लिये हैं जो सरासर गलत व निराधार होने से खारिज योग्य हैं लिहाजा खारिज फरमाये जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. प्रार्थी बाबूसिंह के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि मौजा कानोड में मौबताणियों का तला जाने वाली सड़के के पास आई हुई है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत कानोड द्वारा मिसल संख्या 1/2018–19 दायर कर दिनांक 05.04.2018 को पट्टा संख्या 23 जारी किया गया है। इस भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा रांगे भरी हुई है तथा एक ईंटों का कमरा बनाया हुआ है जिसमें माल मैटेरियल डाला हुआ है। प्रार्थी

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

के भूखण्ड के उत्तर दिशा में चलने वाले आम रास्ते की 16 फीट चौड़ी गली आई हुई है जो प्रार्थी व अन्य लोगों के भूखण्ड के आगे से होते हुए कानोड–मौबताणियों का तला मुख्य डामर सड़क तक जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 मोरोंकंवर ने उक्त सार्वजनिक गली की भूमि पर बिना कब्जे के अपने पति के साथ मिलकर ग्राम पंचायत कानोड से विधिविरूद्ध मिलावटी रूप से कथित पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.07.2018 को जारी करवा दिया है। इसके फलस्वरूप प्रार्थी के कब्जे व रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निर्माण कर ग्रामवासियों के आने–जाने हेतु मार्ग को विधिविरूद्ध रूप से बंद किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलौच्य पट्टे जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 157 की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित फर्जी पट्टे एक ही दिन में जारी किये गये हैं जो निरस्त योग्य हैं।

6. अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कानोड की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्रों में गलत तथ्य वर्णित किये गये हैं। प्रार्थी भूरसिंह के संयुक्त परिवार का छोटा परिसर कानोड से बाटाडू गांव जाने वाली डामर सड़क पर अप्रार्थी संख्या 2 मोरोंकंवर के पट्टाशुदा परिसर के दक्षिण–पश्चिम में स्थित है जिस पर भूरसिंह का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 2 मोरोंकंवर व हमीरसिंह द्वारा अपने पुराने कब्जों के नियमितिकरण हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.05.2018 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों की पालना करते हुए नियम 157(1) के अनुसरण में आलौच्य पट्टा संख्या 25 व 24 विधिवत रूप से जारी किये गये हैं। इसी प्रकार प्रार्थी बाबूसिंह के आवेदन पर उसके कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि का पट्टा संख्या 23 दिनांक 20.07.2018 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टे पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 157 की पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किये गये हैं। मोरोंकंवर व हमीरसिंह के परिसर के पूर्व की ओर अवस्थित डामर की सड़क के अलावा अन्य कोई रास्ता या गली नहीं है और न ही गली या रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

7. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि निगरानीकर्तागण ने निगरानी प्रार्थना–पत्रों में गलत आक्षेप पेश किये हैं।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अप्रार्थी संख्या 2 मोरोंकंवर व हमीरसिंह के पक्ष में जारी पट्टों में नाप व पड़ौस मौके की स्थिति अनुसार अंकित किये गये हैं। सरपंच ग्राम पंचायत कानोड़ एवं ग्राम सेवक द्वारा उक्त पट्टों पर हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं तथा उक्त पट्टे जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत के तीन वार्ड पंचों स्वरूपाराम, तारादेवी व अर्जुनराम द्वारा मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया गया जिस पर उक्त वार्ड पंचों के साथ मौतबिरान एवं स्वयं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं ऐसी स्थिति में नियमों की पूर्ण पालना कर आलौच्य पट्टे जारी किये गये हैं जो पूर्णतः सही हैं। प्रार्थी बाबूसिंह ने विकास अधिकारी से मिलकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु के न्यायालय में धारा 133 सीआरपीसी के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण में बाद सुनवाई खारिज करते हुए अप्रार्थी के स्वामित्व के आधिपत्य की पुष्टि की है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में भौतिक आधिपत्य को मद्देनजर रखते हुए आलौच्य पट्टा विलेख जारी किये गये हैं जो पूर्णतया सही हैं तथा निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाये जावें।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 मोरोंकंवर पत्नी हमीरसिंह व हमीरसिंह पुत्र निरभसिंह ने दिनांक 05.05.2018 को अलग–अलग दो आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत कानोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी कब्जाशुदा एवं आवासीय पुश्तैनी भूमि का पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत कानोड़ ने उक्त प्रार्थना–पत्रों पर कार्यवाही उपरान्त पट्टा संख्या 25 व 24 दिनांक 20.07.2018 जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में आवेदित भूखण्ड पर पुराने कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज एवं शपथ पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं। उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुतीकरण एवं पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण कर मौका कमेटी द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें मौके पर नया घर बनाने हेतु पुराने घर की जगह नींव का कार्य किया हुआ है, प्रार्थी के नींव के आगे खाली भूमि है तथा उसके बाद डामर सड़क है। उक्त मौका रिपोर्ट से भी पुराना कब्जा होने की ताईद नहीं होती है क्योंकि यदि अप्रार्थीगण का मौके पर पुराना आवास होता तो उसके साक्ष्य स्वरूप कोई लाईट, पानी कनेक्शन के बिल इत्यादि प्रस्तुत किये जाने से ही प्रमाणित हो सकता था। हस्तगत प्रकरणों में अधीनस्थ ग्राम पंचायत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

की पत्रावलियों में सम्पूर्ण कार्यवाही मौखिक कथनों एवं बयानों के आधार पर सम्पन्न की जाकर आलौच्य पट्टे नियम 157(1) के तहत 200 रूपये शुल्क लेकर अप्रार्थी संख्या 2 मोरोंकंवर व उनके पति हमीरसिंह के पक्ष में 300–300 वर्गगज के दो पृथक–पृथक पट्टे जारी किये गये हैं, जबकि पुश्तैनी कब्जे के आधार पर पति व पत्नी का पृथक कब्जा निर्धारित नहीं किया जा सकता है तथा उक्त बिन्दु पर ग्राम पंचायत की निगरानी अधीन कार्यवाही विधिविरूद्ध, अनियमित एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये बिना संपन्न की गई है तथा इसके अनुसरण में जारी पट्टा विलेख नियम विरूद्ध एवं अनियमित होने से बहाल रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तीनों निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत कानोड़ द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 मोरोंकंवर व हमीरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 25 व 24 अपास्त किये जाते हैं तथा उक्त प्रकरण ग्राम पंचायत कानोड़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को नोटिस एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कर यदि सार्वजनिक रास्ता मौके पर पाया जाता है तो उसे छोड़ते हुए नये सिरे से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में यथाविहित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार प्रकरणों का निस्तारण करें।

10. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)